

FORM NO.III

फर्ड अहकाम
(नियम 26)प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

किशनलाल बनाम जयकिशन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 239/2021 जा.पु.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/12/2021 2021 425	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>किशनलाल - लीला - युजा पितर रामेश्वरदास</u> <u>उमका २ पं० रामेश्वरदास, अशाफ - गोपालदास - छोहरदास</u> पिता श्री <u>इलेगीदास वैशमी शं० गोरल्या</u></p> <p>निवासी- <u>गोरल्या</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गोरल्या</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>10, 13, 14, 15, 16, 17 कीता 6 रकबा 1.63, 3, 4, 5, 7, 8 कीता 5 रकबा 3.55</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> कुल रकबा <u>5.1800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गोरल्या</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>10, 13, 14, 15, 16, 17 कीता 6 रकबा 1.63 3, 4, 5, 7, 8 कीता 5 रकबा 3.55</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> रकबा <u>5.1800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एण्ड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 